

न्यायलय उपखण्ड अधिकाारी पदेन सहायक कालक्टर, कपासन जिला - तितौडगाढ (राज)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामोपा सेवा सिधिर 2025 हेतय स्थल - कुन्कवाडी)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 5/16/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



ग्रामीण सेवा सिधिर - 2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकाारी एवं पदेन सहायक कालक्टर कपासन आदेश	
1	कुन्कवाडी	166	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में नर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकाारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.सा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कुन्कवाडी</u> प.ह. <u>कुन्कवाडी</u> खातासं <u>166</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पिटकारी	हस्ताक्षर गिरवापुर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	
			पटवारी			

प्रतिलिपि पालनाथः— पटवारी कुन्कवाडी तहसीलदार (उपखण्ड अधिकाारी) जिला तितौडगाढ

1. पटवारी पटवार मण्डल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कर जिला-तितौडगाढ

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन